भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3780

जिसका उत्तर 18 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

दुर्घटना रिपोर्ट मॉड्यूल

3780. श्री लुम्बा रामः

श्री बिद्युत बरन महतोः

श्रीमती कमलेश जांगड़ेः

डॉ. राजेश मिश्राः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है कि दुर्घटना माड्यूल निर्धारित 24 घंटे की समय-सीमा के भीतर घटनाओं का प्रभावी ढंग से पता लगाए और उनकी रिपोर्ट करे;

(ख) सुरक्षा ऑडिट मॉड्यूल से मौजूदा सुरक्षा नयाचारों में किस प्रकार वृद्धि होगी और इसमें किस प्रकार विशिष्ट सुधार किए जाने की संभावना है;

(ग) जांजगीर, चंपा स्थित कोयला खानों में दुर्घटना मॉड्यूल के माध्यम से कितनी घटनाओं की सूचना मिली है; और

(घ) नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएलसी), सिंगरौली में प्रचालित कोयला खानों में दुर्घटनाओं को कम करने और पूर्व चेतावनी सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : खान अधिनियम, 1952 के तहत, दुर्घटनाओं के होने की सूचना खान के मालिक, एजेंट या प्रबंधक द्वारा दी जानी अपेक्षित है। खान प्रबंधन द्वारा ऐसी सूचना खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के दुर्घटना संबंधी पोर्टल पर भी इसके घटित होने के 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत

की जाती है।

(ख) : कोयला मंत्रालय ने कार्यनीतिक उपाय के रूप में देश की कोयला खानों में सुरक्षा ऑडिट प्रक्रिया और रिपोर्टिंग को सरल और कारगर बनाने के लिए राष्ट्रीय कोयला खान सुरक्षा रिपोर्ट (एनसीएमएसआर) पोर्टल विकसित किया है। प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा सुरक्षा ऑडिट और पोर्टल मॉड्यूल पर इसकी रिपोर्टिंग मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करेगी और सुरक्षा प्रबंधन की संस्कृति को बढ़ावा देगी। सुरक्षा प्रबंधन का उद्देश्य कोयला खानों में शून्य हानि संभावना के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है।

(ग) : जांजगीर चंपा में स्थित कोयला खानों से डीजीएमएस को ऐसी किसी दुर्घटना की सूचना नहीं मिली है।

(घ) : एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) की सिंगरौली में कोई कोयला/लिग्नाइट खान नहीं है।